आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

P.N. 42/12.12.18

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 28/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

राजेन्द्र सिंह वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

कामेश्वर सिंह वगैरह.....द्वितीय पक्ष

06.11.2018

यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, हरिहरगंज के अप्राथमिकी संख्या–04/18 दिनांक– 17.07.2018 के आधार पर धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा– सुल्तानी के खाता संख्या– 41, प्लॉट सं0– 34, रकबा– 64 डी0 जिसकी चौहद्दी उतर– पी0 सी0 सी0 रोड, दक्षिण– स्व0 हरिहरनाथ सिंह, पूरब– स्व0 श्याम सिंह, पश्चिम– स्व0 बालमुकंद सिंह से संबंधित है। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा कि मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि यह प्रकिया मौजा– सुल्तानी के खाता सं0– 39, जिसका प्लॉट सं0– 14, 168 एवं 170 है। –

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	

प्लॉट सं0— 170 एवं 168 में उभय पक्षों का मकान अवस्थित है जिसपर धारा 144 दं0प्र0सं0 का प्रकिया नहीं चलाया जा सकता है। वाद भूमि द्वितीय पक्ष की खतियानी भूमि है जिसका खतियानी रैयत शिवरतन सिंह एवं शिवशरण सिंह हैं। आगे विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि खात सं0— 39, प्लॉट सं0— 168 एवं 170 में उभय पक्षों का पक्का मकान बना हुआ है और प्लॉट सं0— 14 जो विपक्षीगणो के पूर्वजों के द्वारा प्रथम पक्ष को नहीं लिखा गया है जिसपर वे दावा कर रहें हैं वह गलत है।

द्वितय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि मौजा सुल्तानी के पुराना खाता सं0— 39 एवं नया खाता सं0— 41, पुराना प्लॉट सं0— 104, 168 एवं 170 नया प्लॉट सं0— 34, कुल रकबा— 0.77 एकड़ में से 0.64 एकड़ चौहद्दी उतर— रास्ता, दक्षिण— बालमुकुंद सिंह, पूरब— श्याम सिंह, पश्चिम— हरिहरनाथ सिंह के अंतर्गत भूमि के उपर प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया था और आवेदन के आलोक में यह प्रकिया चल रहा है। मौजा— सुल्तानी के खाता सं0— 39, प्लॉट सं0— 104,168 एवं 170 रकबा— 0.77 एकड़ भूमि को प्रथम पक्ष के पूर्वज ने निबंधित विकय पत्र सं0— 377 सन् 1952 में भूनेश्वर सिंह वगैरह से खरीद कियें थे और खरीदगी के बाद से शांतिपूर्वक

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

दखल– कब्जा में आये और उनके मृत्यु के बाद उनके बंशज का दखल– कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का सरकारी लगान रसीद प्रथम पक्ष के नाम से निर्गत होते चलाा आ रहा है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोन से प्रतित होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। यदि प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं, साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

6.11.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

6.11.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 14:01:55 +05:30
Location: 192.168.1.13